

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042021-226390
CG-DL-E-06042021-226390

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2021/चैत्र 16, 1943

No. 1336]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2021/CHAITRA 16, 1943

रेल मंत्रालय

(पू सी रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

मालीगांव, 5 अप्रैल, 2021

का.आ. 1447(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, सिक्किम राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् सेवोक रंगपो नई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन कि अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, सक्षम प्राधिकारी सह जिलाधिकारी, पूर्वी जिला, गंगटोक, सिक्किम को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्ति रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसमें सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सिक्किम राज्य के पूर्वी जिला में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् सेवोक रंगपो नई रेल परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिला का नाम : पूर्वी जिला, सिक्किम

क्रम संख्या	थाना का नाम/संख्या	ग्राम का नाम/ संख्या	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	रंगपो	पश्चिम पेंडम	2317	0.1540
			2318	0.0080
			2316/4231	0.1160
			2319/4232	0.0780
			2316/4228	0.0870
			2319/4229	0.1850
			2316/4222	0.0391
			2319/4223	0.0960
			2319/4226	0.2430
			2316/4225	0.0259
			2316	0.0110
			2319	0.0958
			5540/6261	0.0122
			5540/5669	0.0111
			2339/5227	0.2398
			2339	0.0958
			2329/5542	0.0030
			2329	0.1360
			2329/5540	0.0327
			2330/5541	0.0180
			2329/5544	0.1080
			2322/5391	0.0060
			2322/5383	0.0180
			2321/5382	0.0346
			2322/5378	0.0180
			2901/4667	0.2400

			2273/4666	0.0460
			2274	0.0180
			2275	0.0520
			2280	0.0660
			2281	0.0200
			2338	0.4760
			2273/2901	0.1680
			2901/6581	0.0071
			6469/6519	0.0112
			2902/4592	0.0167
			2275/4158	0.0475
			2282/4314	0.0180
			2277	0.0620
			कुल	3.1205

[सं. डब्ल्यू/२०७/नि/भूमि/सिवोक-रंगपो/मजीटर(पूर्व सिक्किम)]

विनोद कुमार मीना, उप मुख्य इंजीनियर/ निर्माण/न्यू जलपाईगुरि

MINISTRY OF RAILWAYS

(N. F. Railway)

(CONSTRUCTION ORGANISATION)

NOTIFICATION

Maligaon, the 5th April, 2021

S.O. 1447(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway project, namely, Sivok-Rangpo (New Line) District Sikkim East in the state of Sikkim. hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Collector, East District, Gangtok, Sikkim in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project of Sivok-Rangpo (New Line) East District in the state of Sikkim.

Name of the District – East District, Sikkim

Sl. No.	Name of Thana/No.	Name of Mouza	Plot/Survey No.	Area (Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Rangpo	West Pendam	2317	0.1540
			2318	0.0080
			2316/4231	0.1160
			2319/4232	0.0780
			2316/4228	0.0870
			2319/4229	0.1850
			2316/4222	0.0391
			2319/4223	0.0960
			2319/4226	0.2430
			2316/4225	0.0259
			2316	0.0110
			2319	0.0958
			5540/6261	0.0122
			5540/5669	0.0111
			2339/5227	0.2398
			2339	0.0958
			2329/5542	0.0030
			2329	0.1360
			2329/5540	0.0327
			2330/5541	0.0180
			2329/5544	0.1080
			2322/5391	0.0060
			2322/5383	0.0180
			2321/5382	0.0346
			2322/5378	0.0180
			2901/4667	0.2400
			2273/4666	0.0460
			2274	0.0180
			2275	0.0520
			2280	0.0660
			2281	0.0200
			2338	0.4760
			2273/2901	0.1680

			2901/6581	0.0071
			6469/6519	0.0112
			2902/4592	0.0167
			2275/4158	0.0475
			2282/4314	0.0180
			2277	0.0620
			Total	3.1205

[No. W/207/CON/LAND/SIVOK-RANGPO/MAJITAR (EAST SIKKIM)]

VINOD KUMAR MEENA, Dy. CE/Con/New Jalpaiguri